रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2005/ज्येष्ठ 10, 1927

No. 536] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2005/JYAISHTA 10, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2005

का०आ० 739(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री विजेन्द्र जैन की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत यह न्याय निर्णय करने के लिए एक संदर्भ भेजा गया था कि क्या असम के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैण्ड (एन.डी.एफ.बी.) नामक संगठन को विधिविरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, का आदेश आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री विजेन्द्र जैन की अध्यक्षता में गठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण की रिपोर्ट।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने दिनांक 23.11.2004 की अपनी अधिसूचना के तहत नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैण्ड को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया था। केन्द्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उक्त संगठन निम्नलिखित आधारों पर विधिविरुद्ध संगम है.

"(i) एन.डी.एफ.बी., पृथक बोडोलैण्ड के गठन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में भारत की संप्रभुता तथा भू-भागीय अखंडता को विघटित करने वाले विभिन्न विधिविरुद्ध एवं हिंसक क्रियाकलापों में शामिल रहा है;

(ii) इसने, पृथक बोडोलैण्ड का निर्माण करने के लिए स्वयं को यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक मुईवाह) जैसे अन्य विधिविरुद्ध संगमों के साथ स्वयं को मिला लिया है;

(iii) अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एन.डी.एफ.बी. उस अवधि के दौरान, जब इसे विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था, अनेक विधिविरुद्ध एवं हिंसक क्रियाकलापों में शामिल रहा, इस प्रकार इसने सरकार का प्राधिकार कम किया तथा लोगों में आतंक एवं दहशत फैलाई;

(iv) एन.डी.एफ.बी. 1 जनवरी, 2003 से 30 सितम्बर, 2004 तक की अवधि के दौरान 167 हत्याओं सहित बड़े पैमाने पर हिंसक एवं आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है;

(v) पृथक बोडोलैण्ड के गठन की योजनाओं को वित्तपोषित तथा कार्यान्वित करने के लिए एन.डी.एफ.बी. फिरौती हेतु अपहरण की कार्रवाइयों के अतिरिक्त व्यवसायियों, सरकारी कार्मिकों तथा अन्य नागरिकों से जबरन धन वसूली में शामिल रहा है;

(vi) एन.डी.एफ.बी. अपने आतंकवादी एवं विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखते हुए नए काडरों की भर्ती के लिए सुनियोजित अभियान चलाने तथा जिला, आंचलिक और शाखा समितियों को चुस्त दुरुस्त बनाने के कार्य में सतत रूप से लगा रहा है;

(vii) एन.डी.एफ.बी. गुप्त रूप से पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहा है जिनमें संगठन के लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है तथा केन्द्र सरकार द्वारा शोषण करने का आरोप लगाया गया है तथा तथाकथित मुक्ति संग्राम में शामिल होने के लिए लोगों को उकसाकर उन्हें देशभक्ति के मार्ग से विमुख किया जा रहा है;

(viii) एन.डी.एफ.बी. अपने काडरों को पुलिस मुखबिरों/सरकार के सहयोगियों की सूची बनाने का अनुदेश देता रहा है ताकि उनके विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा सके;

(ix) गैर बोडो लोगों में दहशत और असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने तथा उन्हें बोडो क्षेत्रों से चले जाने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से एन.डी.एफ.बी. हत्याकांड और नृजातीय हिंसा में लगा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप लोगों की हत्याएं तथा संपत्ति का विनाश हुआ है तथा असम में बोडो बहुल क्षेत्रों में रहने वाले हजारों गैर-बोडो लोगों को बोंगाईगांव तथा बारपेटा जिलों को छोड़कर जाना पड़ा है;

(x) अपने अलगाववादी क्रियाकलापों को चलाने के लिए यह देश की सीमा पर शिविर तथा छिपने के अड्डे स्थापित कर रहा है;

(xi) एन.डी.एफ.बी. एक पृथक बोडोलैण्ड राज्य के निर्माण के अपने संघर्ष में शस्त्र एवं अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में सक्रिय भारत-विरोधी ताकतों से सहायता प्राप्त करता रहा है।"

उक्त आधारों पर केन्द्र सरकार की यह राय थी कि एन.डी.एफ.बी. के उपर्युक्त क्रियाकलाप भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए हानिकर हैं तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय ने दिनांक 23.11.2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 1292(अ) के द्वारा इस बात का न्याय निर्णय करने के प्रयोजन से इस अधिकरण का गठन किया कि क्या उक्त संगठन (एन.डी.एफ.बी.) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं तथा गृह मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 4(1) के उपबंध के अंतर्गत इस अधिकरण को एक संदर्भ भेजा था।

इस अधिनियम की धारा 4(2) के उपबंध के अनुसरण में इस अधिकरण ने दिनांक 22.1.2005 के आदेश के द्वारा उक्त संगठन को नोटिस जारी करने का निदेश दिया था जिसमें इस नोटिस के तामील किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि उक्त संगठन को विधिविरुद्ध संगठन क्यों न घोषित किया जाए। अधिकरण ने यह भी निदेश दिया था कि उक्त संगम को नोटिस

की तामीली उपलब्ध पतों पर, असम में प्रकाशित समाचारपत्रों में प्रकाशन के द्वारा और उक्त संगम के कार्यालय, यदि कोई हो, के स्पष्ट भागों पर नोटिस की प्रति चिपकाकर की जाए। इसके अतिरिक्त ढोल बजाकर मुनादी के द्वारा भी नोटिस तामील करने का निदेश दिया गया। नोटिस की तामील उक्त क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों, जैसे उपायुक्त के कार्यालय तथा बाजार स्थलों पर नोटिस चिपकाकर भी करने का आदेश दिया गया। नोटिस की तामीली समाचारपत्रों में प्रकाशन तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया में उद्घोषणा के द्वारा भी की गई। अधिकरण ने अधिकरण के रजिस्ट्रार को भी नोटिस की तामीली का पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया। रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस तामील करने संबंधी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। असम राज्य तथा भारत संघ द्वारा तामीली संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अधिकरण के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट और रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री से यह अधिकरण संतुष्ट है कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 1968 के नियम 6 के तहत अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उक्त संगम को विधिवत नोटिस तामील किए गए हैं तथा उक्त संगम की ओर से अथवा उसके लिए किसी ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करायी और न ही तामील किये गए नोटिस के प्रत्युत्तर में कोई कारण उनके द्वारा स्पष्ट किए गए।

असम सरकार द्वारा श्री डी. उपाध्याय के दिनांक 11.2.2005 तथा 23.4.2005 के शपथ-पत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/1 तथा पी.डब्ल्यू. 1/2, श्री आर.ए. हजारिका का दिनांक 26.4.2005 का शपथपत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 2/1, श्री नितुल गोगोई के दिनांक 11.2.2005 तथा 25.4.2005 के शपथपत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 3/1 तथा पी.डब्ल्यू. 3/2, श्री भूदेव गोस्वामी के दिनांक 11.2.2005 तथा 27.4.2005 के शपथपत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 4/1 तथा पी.डब्ल्यू. 4/2, श्री प्रदीप पुजारी के दिनांक 12.2.2005 और 27.4.2005 के शपथ-पत्र, प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 5/1 तथा पी.डब्ल्यू. 5/2, श्री अनुराग अग्रवाल के दिनांक 11.2.2005 तथा 26.4.2005 के शपथ-पत्र - प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 6/1 तथा पी.डब्ल्यू. 6/2, श्री जीबन चन्द्र सरमा के दिनांक 9.2.2005 तथा 27.4.2005 के शपथ-पत्र - प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 7/1 तथा पी.डब्ल्यू. 7/2, श्री प्रशान्त कुमार भुइयां के दिनांक 12.2.2005 तथा 27.4.2005 के शपथ-पत्र, प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 8/1 तथा पी.डब्ल्यू. 8/2, श्री प्रशान्त कुमार दत्ता के दिनांक 17.2.2005 तथा 27.4.2005 के शपथ-पत्र, प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 9/1 तथा पी.डब्ल्यू. 9/2, श्री पंकज शर्मा के दिनांक 9.12.05 तथा 27.4.2005 के शपथ-पत्र पी.डब्ल्यू. 10/1 तथा पी.डब्ल्यू. 10/2, श्री अरबिन्द कालिता के दिनांक 27.4.2005 तथा 10.5.2005 के शपथ-पत्र - प्रदर्श

पी.डब्ल्यू. 11/1 तथा पी.डब्ल्यू. 11/2, श्री एस.के. रॉय के दिनांक 17.3.2005 तथा 28.4.2005 के शपथ-पत्र - प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 12/1 तथा पी.डब्ल्यू. 12/2, श्री जितेन्द्र कुमार सिंह का दिनांक 6.5.2005 का शपथ-पत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 13/1, श्री देबेन चन्द्र नाथ का दिनांक 6.5.2005 का शपथ-पत्र, प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 14/1 दायर किए गए थे। गृह मंत्रालय के निदेशक श्री आर.आर. झा के द्वारा दिनांक 9.3.2005 तथा 5.5.2005 को शपथ-पत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 15/1 तथा पी.डब्ल्यू. 15/2 दायर किए गए थे।

श्री डी. उपाध्याय पी.डब्ल्यू. 1 ने मामला सें. 9/2004 के संबंध में बयान दिया है कि सेना तथा पुलिस कार्रवाई के दौरान एन.डी.एफ.बी. संगठन से जुड़े उग्रवादियों को मार डाला गया था और उनके शवों के साथ-साथ मैगजीन के साथ 940847 नं. की ए.के. 47 राईफल तथा 11 चक्र जीवित कारतूस, 4 चक्र जीवित कारतूस के साथ पंजीकरण सं. 1602619 वाली एक चीनी एसॉल्ट राइफल और चार चीनी हथगोले, 16 खाली केस भी बरामद किए गए। उक्त गांव का रहने वाला तथा तथाकथित उग्रवादी संगठन से संबद्ध गांव के लोगों को जानने वाले गवाह जोग्नेश्वर बासुमुतारी के बयान के आधार पर उग्रवादियों के शवों की पहचान की गई। उसने एन.डी.एफ.बी. से संबद्ध काडरों के मृत शरीर की पहचान की। जोग्नेश्वर बासुमुतारी के बयान की अभिप्रमाणित प्रतियाँ प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 1/12 पर एक साथ हैं (जो जब्ती ज्ञापन में भी शामिल हैं।)

इसी प्रकार मंगोलदोई पुलिस थाने के मामला सं. 98/2003 के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किये गए तरुण बोरो के बयान के आधार पर पी.डब्ल्यू. 2 ने तरुण बोरो के उस बयान पर विश्वास प्रकट किया जिसमें उन्होंने कहा कि उसका पुत्र धनेश्वर बोरो, जिसकी उम्र लगभग 22-23 वर्ष की है, लगभग 8 वर्ष पूर्व एन.डी.एफ.बी. संगठन से जुड़ गया था। उक्त तरुण बोरो ने अस्पताल में अपने पुत्र धनेश्वर बोरो के मृत शरीर की पहचान की। उक्त बयान की अभिप्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 2/2 है। इसी प्रकार एक अन्य गवाह बालो राम कचारी ने इसी प्रकार के एक अन्य मामले में दिए गए अपने बयान में कहा कि उसका चचेरा भाई, जो लगभग 30-32 वर्ष की आयु का था, पिछले 9-10 वर्षों से एन.डी.एफ.बी. संगठन से जुड़ा हुआ था। उसने मंगोलदोई अस्पताल के शवगृह में अपने चचेरे भाई बाबुल कचारी के मृत शरीर की पहचान की। उसके बयान की अभिप्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 2/3 है। आदित्य बासुमातारी एक अन्य व्यक्ति है जिसने कि मंगोलदोई सिविल अस्पताल में कमल बासुमातारी के शरीर की पहचान की। वह उक्त आदित्य बासुमातारी का चचेरा भाई था। आदित्य बासुमातारी के बयान की अभिप्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.डब्ल्यू.

2/4 है। मारे गए उग्रवादियों से बरामद शस्त्र एवं गोलाबारूद से संबंधित जब्ती ज्ञापन क्रमशः प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 2/6 से प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 2/8 तक पर है।

नितुल गोगोई, पी.डब्ल्यू. 3 ने अपने बयान में कहा है कि धोलाधरी चाय बागान के मैनेजर की हत्या से संबंधित जांच का वह स्वयं पर्यवेक्षण कर रहा था। उसकी उपस्थिति में पी.के. दास, उप निरीक्षक द्वारा लीला नारजारी का बयान दर्ज किया गया था। लीला नारजारी ने 27.11.2004 को दर्ज अपने बयान में यह बताया कि एन.डी.एफ.बी. के एरिया कमांडर, सारसिंग, बी. भंवरलॉग, राजा बासुमातारी, बी. बीरदांग और असागर द्वारा घीलाधरी चाय बागान के मैनेजर तथा उसके निजी सुरक्षाकर्मी की हत्या कर दी गई। उन लोगों ने 1,30,590 रुपए की राशि भी लूट ली। लीला नारजारी ने यह भी बताया कि उसे ए.के. 47 तथा ए.के. 56 राईफल चलाने का प्रशिक्षण एन.डी.एफ.बी. के उग्रवादियों तथा एक अन्य व्यक्ति अंशुमन मुशाहरी द्वारा दिया गया है। उसने स्वीकार किया कि वह उग्रवादी संगठनों के बीच संपर्क-सूत्र के रूप में कार्य कर रहा था। लीला नारजारी के बयान की अभिप्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 3/3 पर है। अंशुमन मुशाहरी का बयान भी दर्ज किया गया है। अंशुमन मुशाहरी के बयान की अभिप्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 3/4 पर है।

3.10.2004 की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.), जहां एन.डी.एफ.बी. के उगव्रादियों ने इन्द्रा मगोर, पुफुलु केओत, जाधव उपाध्याय और पिंकी अग्रवाल पर हमला किया जिससे जख्मी होकर अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई और उग्रवादियों ने 20,000/-रुपए लूट लिए, प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 3/7 है। श्री बैजू अग्रवाल द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. में इस प्रकार बयान दिया गया कि:

"मेरा विनम्र निवेदन है कि 3.10.2004 की रात लगभग 12.00 बजे 3 अनजान सशस्त्र बोडो उग्रवादियों ने हमारे गांव के कुछ लोगों को बैठक के बहाने से अपने साथ लिया और ग्रामीणों के जरिए हमारा दरवाजा खुलवाकर 20,000/-रुपए लूट लिए तथा मार डालने की धमकी दी। उग्रवादियों ने इन्द्रा मगोर, पुकुलु केओत, जाधव उपाध्याय, चन्द्रा केओत, आनन्दी अग्रवाल, श्रीमती पार्वती अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल, श्री प्रदीप निराला, सत्या अग्रवाल, श्रीमती बैदी अग्रवाल, विमला अग्रवाल और चंचल अग्रवाल को कतारबद्ध खड़ा किया और लगातार गोली चलाई और गोले बरसाए। गोलीबारी और गोलों के विस्फोट से इन्द्रा मेगोर, पुकुलु केओव, जाधव उपाध्याय, चन्द्रा केओत और पिंकी अग्रवाल घटनास्थल पर ही मारे गए तथा घायल कमल किशोर अग्रवाल और चंदन केओत की मृत्यु अस्पताल में हुई।"

भूदेव गोस्वामी जो पी.डब्ल्यू. 4 के रूप में उपस्थित हुए, विधिविरुद्ध प्रकरणों के अन्वेषण की मॉनीटरिंग और पर्यवेक्षण का कार्य करते रहे हैं और इस तरह की मॉनीटरिंग में यह ध्यान दिया गया कि मोमाई दैमारी के पिता जो छः वर्ष पूर्व घर से चले गये थे, को भूटान में एन.डी.एफ.बी. के शिविरों को नष्ट करने के लिए भूटान सेना और भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान पकड़ लिया गया था और उस अभियान में हाला दैमारी के पुत्र को गिरफ्तार कर गोरेस्वर पुलिस थाने को सौंप दिया गया। उक्त हाला दैमारी अपने पुत्र मोमाई दैमारी को देखने गया। उसने उसे मोमाई दैमारी के रूप में पहचाना और उसने यह भी कहा कि मोमाई दैमारी एन.डी.एफ.बी. संगठन का सदस्य है। हाला दैमारी के बयान की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 4/3 है। गवाह ने यह भी कहा कि देबेन दैमारी, रंजीत नजारी, बनेश्वर बोरो, मुमाई दैमारी और श्रीमती सविता बसुमतारी एन.डी.एफ.बी. के कतिपय कार्यकर्ता हैं और ये सभी एन.डी.एफ.बी. के लिए गोरेश्वर के लोगों से धन वसूली में संलिप्त थे। बनेश्वर बोरो से दो चीनी हथगोले बरामद किए गए थे। फर्दबरामदगी मीमो (सीजर मीमो) प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 4/4 है।

इस साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 5 प्रदीप पुजारी ने बयान दिया कि 24 सितम्बर, 2004 को एन.डी.एफ.बी. के घातक हथियारों से लैस 3-4 उग्रवादियों ने रावाबस्ती गांव में शरण ली थी। जहां उग्रवादियों ने शरण ले रखी थी उस गांव को घेर लिया गया था। जब तलाशी चल रही थी तब एन.डी.एफ.बी. के कुछ उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाब में गोली चलाई जिसमें एन.डी.एफ.बी. का एक उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा गया, दो अन्य उग्रवादी जंगलों में भागकर बच गये। पुलिस ने मृत उग्रवादियों से उनकी कमर से बंधे दो गोले, दो इलैक्ट्रिक डिटोनेटर, एन.डी.एफ.बी. से संबंधित धन-वसूली की रसीदें, जेबी डायरियों सहित अपराध संबंधी दस्तावेज बरामद किए। मारा गया उक्त उग्रवादी बैजू बासुमतारी था क्योंकि उसके साले ने उसके शव की पहचान की थी। उप निरीक्षक का बयान प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 5/9 है। रसीद की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 5/10 और प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 5/11 है तथा फर्दबरामदगी मीमो की छाया प्रति पी.डब्ल्यू. 5/12 है।

इसी तरह पी.डब्ल्यू. 6 अनुराग अग्रवाल ने बयान दिया कि 12.4.2003 को लगभग शाम 7.00 बजे बी.आर.पी.एल. के एक कर्मचारी मोतिउर रहमान को उसके घर से 10-12 अज्ञात उग्रवादियों ने बंदूक की नोक पर अगुवा कर लिया। उसे नज़रबंद रखा गया और रिहाई के लिए धन की मांग की गई और सौदेबाजी के बाद एन.डी.एफ.बी. के उग्रवादियों को किसी अब्दुल लतीफ के जरिए 6 लाख रुपए दिए गए थे। मोतुर रहमान के

बयान की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 6/5 है तथा अब्दुल लतीफ के बयान की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 6/6 है।

पी.डब्ल्यू. 7 जीवन चन्द्र सरमा ने बयान दिया कि 2 अक्तूबर, 2004 को एन.डी.एफ.बी. के कुछ उग्रवादियों ने पूर्णिमा खखलान के घर में शरण ले रखी थी तथा कुछ विस्फोटक छुपा रखे थे। विस्फोटक फट गए और कुछ लोग मारे गए व कुछ घायल हो गए। वे एन.डी.एफ.बी. के सदस्य थे। विस्फोटस्थल से कुछ खास दस्तावेज, गैर कानूनी पत्रों के साथ-साथ भारतीय मुद्रा के अलावा कुछ शस्त्र बरामद हुए जो एन.डी.एफ.बी. के क्रियाकलापों को दर्शाते हैं। पूर्णिमा खखलारी का बयान मूल असमिया भाषा में दर्ज किया गया था और इसे अंग्रेजी में अनूदित किया गया था। उसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 7/3 है। फर्द बरामदगी मीमो प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 7/4 है। एन.डी.एफ.बी. द्वारा जारी रसीदें प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 7/5 (संयुक्त रूप से) हैं तथा धन ऐंठने संबंधी पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 7/6 है।

प्रशान्त कुमार भुइयां, पी.डब्ल्यू. 8 ने कहा कि 11.11.2003 को एन.डी.एफ.बी. उग्रवादियों के साथ एक मुठभेड़ में एन.डी.एफ.बी. का एक उग्रवादी जिसकी पहचान बराजाविलवास के फला बासुमतारी के रूप में हुई थी, मारा गया था। उसकी मां श्रीमती सरानी बसुमतारी ने उसके शव की शिनाख्त की। मारे गए उग्रवादियों से कुछ हथियार और गोलाबारूद बरामद हुआ। श्रीमती सारानी बसुमतारी के बयान की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी.डब्ल्यू 8/3 है। मारे गए उग्रवादियों से बरामद हथियारों और गोलीबारूद का जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 8/4 है। उन्होंने यह भी बताया कि 7.6.2004 को एन.डी.एफ.बी. के एक समूह ने गांव महेन्द्रपुर में के.रि.पु.बल/पुलिस संयुक्त कार्रवाई दल पर ग्रेनेड से हमला किया जिसमें के.रि.पु.बल का एक कांस्टेबल, प्रेमा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस दल ने गोलियां चलाईं, एक व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा गया, उसका नाम रिजेन बसुमतारी था। मामला सं. 125/04 के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उसका बयान रिकार्ड किया गया जिसमें उसने यह स्वीकार किया कि वह एन.डी.एफ.बी. की गतिविधियों में संलिप्त था और जो ग्रेनेड पुलिस पर फेंका गया था, वह उसके पास था। बयान की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 8/6 है, जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 8/7 है।

प्रशान्त कुमार दत्ता, पी.डब्ल्यू. 9 ने यह बयान दिया कि 4 जनवरी, 2003 को एक सूचना के आधार पर घात लगाकर हमला करने वाला एक दल मंगलाझोरा गांव बोगरीबाड़ी थाना भेजा गया। एक व्यक्ति

ग्रिमशा ब्रह्मा उर्फ केन्द्रइ पुत्र श्री रबीन्द्र नाथ ब्रह्मा गांव अंतीहारा बेतबारी थाना दोस्तमा से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। उसका बयान रिकार्ड किया गया। ग्रिमशा ब्रह्मा से अभिशंसात्मक लेख और हथियार एवं गोलीबारूद बरामद किया गया। प्राथमिकी दर्ज की गई और इस मामले में भी आरोप पत्र दायर किया गया है। ग्रिमशा ब्रह्मा के बयान की सत्यापित प्रति प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 9/3 है। उसके बयान के हिस्से को पुनः प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। बयान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

"अक्षर 'बी' या तो ब्रह्मा का सूचक है या फिर बसुमतारी का। ये संक्षिप्त नाम एन.डी.एफ.बी. मुख्यालय से दिए गए हैं। जब मैं एन.डी.एफ.बी. मुख्यालय में था तब मैं एन.डी.एफ.बी. के तेरह संवर्गों के एक समूह के साथ बोंगईगांव आ गया और द्वितीय बटालियन की एक प्लाटून में पाताबाड़ी क्षेत्र में ठहरा करता था। उस समय मेरे पास एक ए.के. 47 राइफल थी। उस दौरान अपने समूह के साथ मैंने पाताबाड़ी में के.रि.पु.बल के 5 जवानों की हत्या की। के.रि.पु.बल के ये जवान कुछ चुनाव ड्यूटियों के लिए आए थे। उसके बाद मैं भूटान में हमारे मुख्यालय कालीखोला वापस चला गया। वर्ष 2001 में हमने भारतीय सेना के जवानों की हत्या करने के उद्देश्य से 15 अगस्त को बोंगईगांव में घात लगाकर एक हमला किया लेकिन हम सफल नहीं हो सके। बाद में हमने रामफलबिल में बी.एल.टी. के कार्यकर्ताओं की हत्या करने की कोशिश की लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके।"

पंकज शर्मा, पी.डब्ल्यू. 10 ने अपने बयान में यह कहा है कि 9.3.2004 को दिसागेडेबा दिमासा गांव में सुनील बसुमतारी नामक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। उसका बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत न्यायालय के समक्ष रिकार्ड किया गया। उक्त सुनील बसुमतारी द्वारा बताए गए अनुसार दिसागेडेबा जंगल, डिफु से हथियार एवं गोलीबारूद बरामद किया गया और एक प्राथमिकी दर्ज की गई। धारा 161 के तहत सुनील बसुमतारी का बयान रिकार्ड किया गया। बयान प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 10/3 है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत रिकार्ड किया गया उसका बयान प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 10/4 है। हथियार एवं गोलीबारूद तथा अभिशंसात्मक सामग्री की बरामदगी का जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 10/5 हैं। प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 10/1 में उक्त सुनील बसुमतारी ने यह उल्लेख किया है कि 11 मार्च, 2004 को दोपहर लगभग 2.30 बजे डिफु थाने की मंजा चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक शंकर बैनर्जी ने डिफु थाने में इस बात का इजहार दर्ज कराया कि दिसागेडेबा दिमासा गांव डिफु थाने में एन.डी.एफ.बी. उग्रवादियों की गतिविधियों के संबंध में सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार

पर उक्त दिसागेडेबा दिमासा गांव में 9 मार्च, 2004 को लगभग शाम 7.30 बजे तलाशी लेने और छापा मारने की एक कार्रवाई की गई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत रिकार्ड किए गए, सुनील बसुमतारी के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत रिकार्ड किए गए बयान में सुनील बसुमतारी ने केवल यह कहा है कि उसके आदमी से कोई हथियार एवं गोलीबारूद बरामद नहीं हुआ, तथापि, उसने इस तथ्य से इंकार नहीं किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत रिकार्ड किए गए उसके बयान के अनुसार उसके बताए स्थान से हथियार एवं गोलीबारूद बरामद किया गया और जब्ती ज्ञापन में भी यह बात रिकार्ड है कि सुनील बसुमतारी द्वारा बताए गए अनुसार और उनके बताए स्थान से हथियार एवं गोलीबारूद बरामद किए गए।

पूर्व गवाहों द्वारा बताए गए अनुसार, गतिविधियों के रिकार्ड के आधार पर श्री अरबिंद कालिता, पुलिस अधीक्षक (विशेष कार्रवाई यूनिट), पी.डब्ल्यू. 11 ने एन.डी.एफ.बी. संवर्गों की गैर-कानूनी गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने बेनु बोरा के बयान पर विश्वास जताया है। उसने जांच के दौरान अपना बयान दिया था। उसने एन.डी.एफ.बी. की गुप्त गतिविधियों के बारे में व्यापक सूचना मुहैया कराई है। उक्त बेनु बोरा ने अपने बयान में यह कहा है कि वह विध्वंसक गतिविधियों के लिए और विभिन्न स्रोतों से हथियारों के प्रापण के लिए 2002 से 2004 तक विदेशों का दौरा करता रहा है। वह बैंकाक, क्वालालाम्पुर एवं सिंगापुर में गया है और उक्त उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करता रहा है। बेनु बोरा ने यह बताया कि वह 'मे शोउन' के साथ ढाका से रवाना हुआ, बैंकाक में ठहरा और बेनु बोरा ने 1,80,000 टकों के बदले में 3000 अमेरिकी डालर प्राप्त किए। उन्होंने थाईलैंड से कम्बोडिया की सीमा को पार किया, कुछ लोगों से मिले तथा ए0के0 सीरीज की राइफलों, 5 यूएमजी और 2 लाख गोलाबारूद की मांग की। उसने यह भी स्वीकार किया कि एनडीएफबी के क्रियाकलापों का संबंध अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कार्य कर रहे अन्य आतंकवादी संगठनों से भी है। उक्त बेणु बोरो ने एनडीएफबी की गतिविधियों, एक स्वतंत्र बोरोलैंड सृजित करने के लिए उनके सशस्त्र संघर्ष, एनएलएफटी के साथ उनके सहयोग तथा भारत द्वारा विभिन्न जनजातियों और जातियों पर किए गए दमन और उत्पीड़न पर प्रकाश डालने के लिए समान विचारधारा वाले उग्रवादियों का एक साझा मंच सृजित करने हेतु एनडीएफबी के अध्यक्ष द्वारा निभायी गयी महत्वपूर्ण भूमिका एवं भारत संघ के विरुद्ध संगठित रूप से लड़ने के लिए उन्हें बाध्य करने में उनकी भूमिका का विस्तार से वर्णन किया है। उक्त बेणु बोरो ने यह भी बताया कि एनडीएफबी, एनएससीएन(आईएम), एचएनएलसी, एएनबीसी, केवाईकेएल, केएनबी, केपीएफ ने एक दक्षिण पूर्व

हिमालयन क्षेत्र संगठन गठित किया है और रंजन डोइमारी, जो एनडीएफबी का अध्यक्ष है, इस मोर्चे का संयोजक है। बेणु बोरो का यह बयान प्रदर्श पीडब्लयू-11/3 के रूप में है।

इलैक्ट्रानिक मीडिया में डाउन लोड किया गया एक पर्चा एनडीएफबी की गतिविधियों पर कुछ प्रकाश डालेगा। यह पर्चा निम्नवत् है:-

"वर्ष 2000 से आकूपेशन इण्डिया ने असम में बाढ़ नियंत्रण के सम्बन्ध में निधि जारी करने की और कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके बजाय, ब्रह्मपुत्र बेसिन का सर्वनाश कर देने वाली बाढ़ पर नियंत्रण करने का एक नया उपचार सोचा गया अर्थात् ब्रह्मपुत्र नदी के अतिरिक्त जल को एक नहर द्वारा भारत के अन्य भागों को निकाला जाए। यह इण्डिया अकूपेशन के हाथों इस प्रकार भारी तबाही किए जाने के बावजूद ब्रह्मपुत्र घाटी की विलक्षण जैव विविधता के शेष अध्याय को समाप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आकूपेशन लूटर्स की नजर अब कृषि, खनिज और वन संसाधनों के बाद असम के जल संसाधन पर लगी है। कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस सम्बन्ध में अपना विरोध पहले ही मुखर कर दिया है। हम ब्रह्मपुत्र नदी से एक भी बूंद पानी बहाने का, अपने सीमित संसाधनों के बावजूद, भरसक विरोध करने से नहीं चूकेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को असमी भाषा में लुइट कहा जाता है जो असम की जनता के लिए केवल एक नदी ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय एकता का एक अनुबंध, हमारी विलक्षण सभ्यता का प्रतीक है। यह हमारी राष्ट्रीय सम्प्रभुता की कड़ी है। हम अपनी सम्प्रभुता को बहाने के बजाय अपना खून बहा देंगे।

भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार करो तथा 15 अगस्त, 2003 को आम हड़ताल का आयोजन करो।"

एनडीबीएफ ने हिन्दी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया है क्योंकि उनके अनुसार ये मूल निवासियों की संस्कृति के विपरीत है और इसे भारत तथा भारतीय फ़ौजों द्वारा सांस्कृतिक आक्रमण माना जा सकता है। एनडीएफबी को अर्द्ध सैनिक संगठनों के कार्मिकों तथा पुलिस कार्मिकों की हत्या करने में भी गर्व है। गवाह ने एनडीएफबी द्वारा 23.11.2002 से 22.11.2004 तक घटनाओं की जिलावार संक्षिप्त सूची भी प्रस्तुत की जो प्रदर्श पीडब्ल्यू 11/5 पर है।

उपर्युक्त सूचना के आधार पर असम राज्य के संयुक्त सचिव (गृह) श्री एस0 के0 राय ने भी अपना हलफनामा दायर किया। उनसे भी पीडब्ल्यू-12 के रूप में पूछताछ की गई। पीडब्लयू-13 से मामला सं0 121/2004 के सम्बन्ध में पूछताछ की गई।

मामला सं0 03/03 के संबंध में, जिसकी जांच पीडब्ल्यू-14 ने की थी तथा जिसने अपनी जांच पूरी कर ली है और न्यायालय में विवाचन के लिए गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर कर दिया है, पीडब्ल्यू-9 द्वारा दिए गए बयान के समर्थन के लिए उप निरीक्षक डिबेन चन्द्र नाथ को पीडब्ल्यू-14 के रूप में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 29.2.2004 को पीडब्ल्यू-4 द्वारा स्वीकारोक्ति भी दर्ज की गई।

अपने साक्ष्य के समर्थन में श्री आर0 आर0 झा, निदेशक, गृह मंत्रालय भी पीडब्ल्यू-15 के रूप में कटघरे में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि एनडीएफबी को 23 नवम्बर, 1992 को पहली बार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था। यह प्रतिबंध दिनाक 23.11.1994, 23.11.1996, 23.11.1998, 23.11.2000, 23.11.2002 और 23.11.2004 को बढ़ाया गया। तब भी उन्होंने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करना बंद नहीं किया और इसलिए भारत सरकार ने अपनी दिनांक 23.11.2004 की अधिसूचना के तहत उक्त संगठन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया। एनडीएफबी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद इस संगठन ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करने बंद नहीं किए। यह साक्ष्य दिया गया कि स्वयंभू अध्यक्ष रंजन डोइमारी बंगलादेश में रहता है और भारत की अखण्डता और एकता को क्षति पहुंचाने के लिए इस्लामिक कट्टरवादी संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। दिनांक 1.1.2003 से 30.9.2004 तक असम राज्य में हिंसा की 167 घटनाएं हुईं जिनके लिए एनडीएफबी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने 92 व्यक्तियों (अर्थात् 16 सेना/पुलिस/सुरक्षा बलों के कार्मिकों की, 76 सिविलियनों) की हत्या कर दी। वे गैर बोडो, व्यवसायियों, पुलिस कार्मिकों और राजनीतिक दलों के सदस्यों तथा इसकी विचारधारा की विरोधी बोडो पार्टियों/संगठनों पर सुनियोजित हिंसा करने में लगे हैं। अक्तूबर, 2004 में असम में आतंकवादी गतिविधियों की कुल 17 घटनाएं हुईं जिनमें 41 व्यक्तियों की हत्या तथा लगभग 197 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना दी गयी। एनडीएफबी के काडर आम जनता से कह रहे हैं कि वे एनडीएफबी को बड़ी मात्रा में धन का भुगतान करें नहीं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। वे बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं ताकि असम में बोडो बहुल क्षेत्रों में रह रहे गैर बोडो लोगों के अन्दर मानसिक भय पैदा किया जा सके और इस आधार पर भी उन्होंने घोषणा का समर्थन किया।

दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर इस अधिकरण के समक्ष यह प्रश्न है कि क्या रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस संगठन को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान

है और क्या भारत सरकार द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 23.11.2004 को प्रकाशित दिनांक 23.11.2004 की अधिसूचना के तहत इसके क्रियाकलापों को विधिविरुद्ध घोषित करना न्यायोचित है।

इस अधिकरण के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह एनडीएफबी संगठन के 1992 के पूर्व के इतिहास में जाए। इस संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों तथा इसके विगत के क्रियाकलापों को जानने के लिए वर्ष 1992 तक का इतिहास जानना पर्याप्त होगा जब केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 23.11.1992 को उक्त संगठन को विधिविरुद्ध घोषित किया था। जिन आधारों पर उक्त संगठन को विधिविरुद्ध घोषित किया गया, वे वही थे। पिछले अधिकरणों ने सामग्री पर विचार करने के बाद उक्त संगठन के कार्यकलापों को समय-समय पर विधिविरुद्ध घोषित किया। मैं इस अधिकरण में दिनांक 23.11.2004 को जारी अधिसूचना को लेकर चिंतित हूं जो इस अधिकरण को यह न्याय निर्णय करने के लिए भेजी गई है कि क्या रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर एनडीएफबी को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं अथवा नहीं। उल्लिखित साक्ष्यों के अवलोकन से दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। अधिकरण द्वारा न्याय निर्णय करने के प्रयोजनों के लिए क्या इसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत रिकार्ड किए गए बयान पर विचार किया जा सकता है अथवा नहीं। **भारत संघ बनाम स्टूडेंटस इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स 99 (2002) डीएलटी 147 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की:-**

"सरकार ने जिन इकबालिया बयानों का हवाला दिया है तथा भरोसा किया है, उन्हें उन आपराधिक मामलों की जांच-पड़ताल के दौरान रिकार्ड किया गया था जिनके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई भी स्वीकारोक्ति किसी अपराध के अभियुक्त के खिलाफ साबित नहीं की जाएगी। 'किसी अपराध का अभियुक्त' अभिव्यक्ति उस व्यक्ति की ओर संकेत करती है जिसके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में साक्ष्य साबित किया जाना है। अतः, विशेषण खंड 'किसी अपराध का अभियुक्त' उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसके खिलाफ कोई स्वीकारोक्ति साबित की जानी है। इकबालिया बयानों को दंड प्रक्रिया संहित के अंतर्गत सिविल कार्यवाहियों तथा अन्य पार्श्विक कार्यवाहियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस अधिकरण को स्पष्ट रूप से उन अभियुक्तों के खिलाफ विचारण की

जांच नहीं करनी है जिन्होंने इकबालिया बयान दिए हैं। अतः, मेरी राय में विभिन्न मामलों की जांच-पड़ताल के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस अथवा न्यायालय के समक्ष दिए गए इकबालिया बयानों पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 लागू नहीं होगी और ये बयान साक्ष्य में यह दर्शाने के लिए अनुमेय होंगे कि क्या अभियुक्त संघ के सदस्य थे अथवा हैं और यह भी दर्शाने के लिए कि क्या संघ के क्रियाकलाप विधिविरुद्ध हैं अथवा नहीं।"

सुमन एवं अन्य आदि बनाम तमिलनाडु राज्य एआईआर 1986 (मद्रास) 318 में यह फैसला दिया गया:-

" यह याद रखा जाना चाहिए कि जब धारा 25 किसी ऐसी स्वीकारोक्ति का हवाला देती है जिसे किसी अपराध के अभियुक्त के खिलाफ साबित करने की अनुमति नहीं होती, तो यह अभियुक्त द्वारा की गई ऐसी स्वीकारोक्ति का हवाला देती है जिसे किसी अपराध को सिद्ध करने के लिए उसके खिलाफ साबित किए जाने का प्रस्ताव किया गया हो। अतः धारा 25 का दायरा किसी ऐसे व्यक्ति, जो अभियुक्त हो, द्वारा की गई स्वीकारोक्ति तक ही सीमित है जिसे उसके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध करने के लिए की जा रही कार्यवाही में प्रयोग किया जा रहा है।"

अतः, पीडब्ल्यू-5 ने 24 सितम्बर, 2004 की घटना सुनाई जिसमें ऐसा ही एक उग्रवादी बिजू बसुमतारी मारा गया था। उसके शव की शिनाख्त उसके साले ने की। उसका बयान इस अधिकरण के समक्ष अनुमेय नहीं हो सकता। पीडब्ल्यू-6 ने बयान दिया कि 12 अप्रैल, 2003 को किसी मुतिअर रहमान का बंदूक की नोक पर अपहरण किया गया। उसे बंदी बनाकर रखा गया। उसे छोड़ने के लिए फिरौती मांगी गई और किसी अब्दुल लतीफ के माध्यम से एनडीएफबी के उग्रवादियों को 6 लाख रु0 की राशि दी गई। मोतिअर रहमान एक्सपीडब्ल्यू-6/5 के बयान तथा अब्दुल लतीफ, जिसके माध्यम से एनडीएफबी के उग्रवादियों को धन दिया गया, एक्सपीडब्ल्यू 6/6 के बयान अनुमेय हैं। इसी प्रकार पूर्णिमा खखलारी, एक्सपीडब्ल्यू 7/3 जिसके घर का इस्तेमाल उग्रवादियों ने किया था का एनडीएफबी के क्रियाकलापों के संबंध में दिया गया बयान अनुमेय है। एनडीएफबी का एक उग्रवादी फाला बसुमतारी एक मुठभेड़ में मारा गया था। उसके शव की शिनाख्त उसकी माता श्रीमती सरिनी बसुमतारी ने की। श्रीमती सरिनी बसुमतारी एक्सपीडब्लयू 8/3 का बयान अनुमेय है। उन्होंने अपने पुत्र के शव की शिनाख्त की और बयान दिया कि उसका पुत्र उग्रवादी संगठन का सदस्य था।

ग्रिमषा ब्रह्मा प्रदर्श पीडब्ल्यू 9/3 का बयान इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार एनडीएफबी के काडरों का सेना की भांति पदसोपान था। वे घात लगाकर वार करने में लिप्त थे। वे अन्य बोडो लोगों की हत्या करने का प्रयास कर रहे थे और यह बयान अनुमत्य है। साक्ष्य का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो इस अधिकरण के समक्ष आया है वह है सुनील बसुमतारी का बयाना। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उनका बयान प्रदर्श पीडब्ल्यू 10/3 है तथा न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज किया गया उनका बयान प्रदर्श पीडब्ल्यू 10/4 है। धारा 161 तथा 164 के अंतर्गत दर्ज किए गए सुनील बसुमतारी के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि उन्होंने केवल यह कहा है कि उससे कोई शस्त्र तथा गोलाबारूद बरामद नहीं हुए थे। तथापि उसने इस तथ्य से इंकार नहीं किया है कि दंड प्रक्रिया संहित की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए उसके बयान के अनुसार उसके कहने पर शस्त्र तथा गोलाबारूद बरामद किए गए थे तथा ज़ब्ती ज्ञापन में भी यह दर्ज किया गया है कि शस्त्र तथा गोलाबारूद सुनील बासुमतारी के कहने और बताने पर बरामद किए गए थे। जहां तक इस बात का संबंध है कि सामग्री क्या है और उस पर अधिकरण द्वारा किस प्रकार विचार किया जाना चाहिए, यह उच्चतम न्यायालय द्वारा जमात-ए-इस्लामी हिंद बनाम भारत संघ टी 1995 (1) एस.सी. 31 में उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित फैसला दिया:-

"धारा 4 का संबंध अधिकरण से है। उप-धारा (1) में यह अपेक्षित है कि केन्द्र सरकार को यह न्यायनिर्णय लेने के प्रयोजन से कि क्या संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं या नहीं, अधिकरण की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना का हवाला देना है। अधिकरण का हवाला देने का प्रयोजन है अधिकरण द्वारा घोषणा करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद होने का न्यायनिर्णय करना। इस संदर्भ में न्याय-निर्णय तथा पर्याप्त कारण शब्द महत्वपूर्ण हैं। उप-धारा (2) में अपेक्षित है कि अधिकरण हवाला प्राप्त होने पर, प्रभावित संघ को लिखित में कारण बताओ नोटिस देकर यह पूछे कि इस संघ को विधिविरुद्ध क्यों न घोषित किया जाए। यह अपेक्षा तब तक निरर्थक होगी जब तक कि उस आधार का प्रभावी नोटिस न हो जिस आधार पर घोषणा की गई है और उसके खिलाफ कारण बताने का युक्तिसंगत अवसर न हो। उप धारा (3) में उक्त नोटिस के उत्तर में बताए गए कारण पर विचार करने के बाद विनिर्दिष्ट तरीके से अधिकरण द्वारा जांच करना विहित है। अधिकरण यह निर्णय लेने के लिए कि उक्त संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं या नहीं, केन्द्र सरकार से यथावश्यक सूचना भी मांग सकता है। अधिकरण को एक

आदेश देना होगा, जो यह उचित समझे, जिसके तहत अधिसूचना में दी गई घोषणा की पुष्टि की गई हो अथवा उसे रद्द किया गया हो। अधिकरण द्वारा की जाने वाली जांच के स्वरुप में यह अपेक्षित है कि यह उस सामग्री पर मनन करे जिसके आधार पर धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, उक्त संगम को जारी किए गए नोटिस के उत्तर में इसके द्वारा बताए गए कारण पर मनन करे और ऐसी अतिरिक्त सूचना पर विचार करे जो इसने मांगी हो ताकि उक्त संगम को विधिविरुद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण की मौजूदगी के बारे में निर्णय लिया जा सके। पूरी प्रक्रिया में दोनों पक्षों द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर आधारित उद्देश्य निर्धारण पर विचार किया गया है तथा जांच दोनों पक्षों के मध्य एक सूची के न्याय निर्णयन से संबंधित है जिसका परिणाम उनके द्वारा प्रस्तुत सामग्री के तैयार करने वाले पर निर्भर करता है। साधारणतया सामग्री इतनी विश्वसनीय होनी चाहिए कि उससे उद्देश्यपरक मूल्यांकन करना संभव हो सके। अधिकरण को यह निर्णय करना है कि क्या उक्त संगम को विधिविरूद्ध घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं या नहीं। ऐसे निश्चय के लिए अधिकरण को यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक है कि घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत सामग्री घोषणा के विरोध में प्रस्तुत सामग्री से अधिक पुख्ता है तथा घोषणा के समर्थन में दिया गया अतिरिक्त महत्व इसे बरकरार रखने के लिए काफी है। अधिक संभाव्यता का परीक्षण इस संदर्भ में लागू होने वाला व्यावहारिक परीक्षण प्रतीत होता है।

उच्चतम न्यायालय ने पैरा 14 में आगे यह निर्णय दिया कि :-

"धारा 4 में न्यायनिर्णयन तथा निर्णय शब्दों का उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा गठित अधिकरण द्वारा की जा रही जांच के संदर्भ में वैधानिक अर्थ है। अधिकरण द्वारा 'कारण बताओ नोटिस' के पश्चात विवादित मुद्दो के संबंध में 'न्यायनिर्णय' की प्रक्रिया द्वारा 'निर्णय' लिया जाना अपेक्षित है। ये किसी भी न्यायिक निर्णय के आवश्यक गुण हैं।"

(जोर दिया गया)

भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल ए.आई.आर.1985 एस सी 1416 मामले में न्यायालय की संवैधानिक पीठ को विभिन्न अधिनियमों में प्रयोग होने वाली अभिव्यक्तियों जैसे कि कानून एवं व्यवस्था,

लोकव्यवस्था, राज्य की सुरक्षा पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। निर्णय के पैरा 140 में माननीय न्यायाधीशों ने निम्नानुसार टिप्पणी की :

"कानून एवं व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा जैसी अभिव्यक्तियों का विभिन्न अधिनियमों में प्रयोग किया गया है। लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां कानून एवं व्यवस्था को प्रभावित करने वाली परिस्थिति से अधिक गंभीर होती है तथा राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली स्थितियां उन स्थितियों से भी गंभीर होती है जो लोक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। अतः ऐसी स्थितियों में सबसे अधिक गंभीर स्थितियां वह होती है जो राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। राज्य की सुरक्षा को खतरा राज्य के भीतर से या कहीं बाहर से हो सकता है। राज्य की सुरक्षा शब्द से अभिप्राय सम्पूर्ण देश अथवा पूरे राज्य की सुरक्षा से नहीं है। इसमें राज्य के किसी एक हिस्से की सुरक्षा शामिल है। इसे किसी सशस्त्र विद्रोह अथवा बगावत तक भी सीमित नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत से माध्यम है जिनके द्वारा राज्य की सुरक्षा को प्रभावित किया जा सकता है। इसे राज्य के गुप्त भेदों अथवा रक्षा उत्पाद संबंधी सूचनाओं अथवा इसी तरह की सामग्री को हमारे देश के मित्र अथवा शत्रु राष्ट्र को हस्तान्तरण करके अथवा आतंकवादियों के साथ गुप्त संबंधों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न तरीकों को गिनाना कठिन है। राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने का तरीका या तो स्पष्ट अथवा प्रच्छन्न हो सकता है। "

उक्त परीक्षण को लागू करते हुए मेरा यह सुविचारित मत है कि ऊपर वर्णित जैसे प्रतिबंधित संगठनों को नोटिस तामील किए जाने के बावजूद एन.डी.एफ.बी. ने अपना पक्ष प्रस्तुत न करने का निर्णय लिया है। अतः इस अधिकरण के समक्ष असम राज्य तथा भारत संघ द्वारा प्रस्तुत सामग्री के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है तथा सामग्री, साक्ष्यों, दस्तावेजों पर विचार करते हुए एवं अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर आधारित उद्देश्य निर्धारण के आधार पर सामग्री एवं इसकी विश्वसनीयता को चुनौती नहीं दी जा सकती।

उस साक्ष्य के अलावा, जिसके बारे में मैंने ऊपर चर्चा की है, राज्य के पास सूचनाएं देने हेतु आसूचना ब्यूरो तथा अन्य गुप्त अभिकरण भी हैं । अधिकरण को सामग्री दिखाई गई थी । गुप्त सूचना जिसका अवलोकन अधिकरण द्वारा किया गया है, में कहा गया है कि बोडो लोगों के पाकिस्तानी आई एस आई सहित अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध हैं । रिपोर्ट में निम्नानुसार कहा गया है :-

1653-GI/85-5

"संगठन ने उल्फा; एन.एस.सी.एन. (आई/एम) तथा पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही संगठनों के साथ अपने संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है। एन डी एफ बी तथा एन एस सी एन (आई/एम) 'सेल्फ डिफेंस यूनाइटेड फ्रंट ऑफ साऊथ ईस्ट हिमालयन रिजन' नामक संरक्षक संगठन के सदस्य है, जिसमें एन एस सी एन (आई/एम), एन डी एफ बी तथा त्रिपुरा, मेघालय एवं मणिपुर के छोटे पूर्वोत्तर आतंकवादी दल शामिल हैं । एन डी एफ बी के नेता विदेशों विशेषकर थाइलैंड (बैंकाक) तथा बांग्लादेश की यात्रा करते रहते है तथा वहां ठहरते हैं । एन डी एफ बी के बहुत से काडरों को एन एस सी एन (आई/एम) भूमिगतों द्वारा शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया गया था । इस संगठन को आश्रय/छिपने के स्थान के रूप में बांग्लादेशी" आतिथ्य का लाभ प्राप्त होता है। इस संगठन का भारत विरोधी रवैया उस समय उजागर हुआ जब इसने कारगिल युद्ध के दौरान एक भारत विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक वक्तव्य जारी किया । हाल ही में, गोबिन्द बासुमतारी (महासचिव, एनडीएफबी - 5 दिसम्बर, 2002 को गिरफ्तार), धीरेन बोरो (उपाध्यक्ष, एनडीएफबी - 1 जनवरी, 2003 को गिरफ्तार) तथा नीलेसवर बासुमतारी (गृह सचिव, एनडीएफ बी - 17 मार्च, 2004 को आत्म समर्पण किया) ने पूछताछ के दौरान इस संगठन के पाकिस्तानी आसूचना एजेंसियों के साथ संबंध होने तथा अपने काडरों के पाकिस्तान में प्रशिक्षण का खुलासा किया।"

जिस तरह का मामला अधिनियम के अधीन विचाराधीन है, इस प्रकृति के मामले का अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन कराने का उद्देश्य, सरकार द्वारा शक्तियों के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करना है।

केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सामग्री, अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सामग्री तथा मेरे द्वारा ऊपर गवाहों के पुनः प्रस्तुत बयान की छटनी इस संभावना को और अधिक प्रबल बनाती है कि इसकी गतिविधियां अधिनियम की धारा 2 (ण) के तहत विधिविरुद्ध हैं। हथियारों का चरणबद्ध ढंग से प्रापण, साऊथ ईस्ट एशियन हिमालयन फ्रंट का सृजन, फिरौती, हत्या तथा इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत संविधान विशेषकर अनुच्छेद 4, जो इस प्रकार है :

"सिद्धांत एवं विचारधारा

एन.डी.एफ.बी. के सिद्धांत एवं विचाराधारा होगी :-

(क) बोडोलैंड को भारतीय विस्तारवाद एवं आधिपत्य से मुक्त कराना

(ख) बोडो राष्ट्र को उपनिवेशवादी शोषण, दमन एवं आधिपत्य से मुक्त कराना

(ग) स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए एक प्रजातांत्रिक, सामाजिक समाज की स्थापना करना

(घ) बोडोलैंड की एकता एवं प्रभुसत्ता को बरकरार रखना।"

के आधार पर एक स्वतंत्र, प्रभुसत्ता सम्पन्न बोडोलैंड की स्थापना करने का स्पष्ट उद्देश्य एन डी एफ बी द्वारा भारत की भूभागीय एकता एवं अखण्डता को क्षति पहुंचाने की उसकी इच्छा को उजागर करता है। इससे एन डी एफ बी द्वारा अन्य प्रतिबंधित संगठनों तथा आई एस आई के साथ मिलकर भारत के विरूद्ध युद्ध शुरू करने के षडयंत्र में उसकी संलिप्तता भी उजागर होती है। रिकार्डों में इस बात के बहुत से साक्ष्य मौजूद हैं कि 2002 में इस संगठन पर से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद भी इसने अपनी गतिविधियां बंद नहीं की हैं । उनके कार्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें भारत के संविधान में विश्वास नहीं है तथा वे भारत संघ से पृथक होना चाहते हैं। वे असम के गैर बोडो निवासियों के खिलाफ घृणा का प्रचार कर रहे हैं, निर्दोष लोगों से जबरन धन वसूली कर रहे हैं तथा अवैध हथियार प्राप्त कर रहे हैं । अतः, अधिकरण को इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि एन डी एफ बी, इसके सदस्यों, अनुयायियों, इसके साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों और कार्यकर्ताओं की गतिविधियां विध्वंसक हैं । हथियार प्राप्त करने संबंधी उनकी गतिविधियां और अलग बोडोलैंड की मांग भारत की भूभागीय अखंडता और संप्रभुता के विरूद्ध है। एन डी एफ बी द्वारा प्रकाशित सामग्री भारत के विरूद्ध गलत सूचना देने और असंतोष की भावना पैदा करने की दृष्टि से आपत्तिजनक है। अतः, अधिकरण की सुविचारित राय में, दिनांक 23.11.2004 की अधिसूचना के अनुसरण में एन डी एफ बी को विधिविरूद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं और उक्त अधिसूचना की संपुष्टि की जाती है।

उपर्युक्त के अनुसार पत्र का उत्तर दे दिया गया है।

20 मई, 2005

ह0/-
(विजेन्द्र जैन)
पीठासीन अधिकारी
विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण

[फा. सं. 11011/46/2004-एन.ई. III]
राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2005

S.O. 739(E).—In terms of Section 4(4) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Vijender Jain, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the National Democratic Front of Boroland (NDFB) Organisation of Assam as unlawful is published for general information :

REPORT OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL CONSISTING OF HON'BLE MR. JUSTICE VIJENDER JAIN, JUDGE, DELHI HIGH COURT

Government of India in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the 'Act') declare the National Democratic Front of Boroland (hereinafter referred as the NDFB) as unlawful association vide its notification dated 23-11-2004. The Central Government came to the conclusion that the said organisation was unlawful association on the following grounds that the NDFB has :—

"(i) indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt or which disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objectives of achieving a separate Bodoland;

(ii) aligned itself with other unlawful associations like the United Liberation of Front of Assam and the National Socialist Council of Nagaland (Islac-Muviah) to create a separate Bodoland;

(iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the period when it had been declared as an unlawful association, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and panic among the people;

(iv) indulging in large scale violent and terriorist incidents including 167 killings attributed to the NDFB during the period from 1st January, 2003 to 30th September, 2004;

(v) indulging in extortions of money from businessmen, Government officials and other civilians in addition to acts of kidnapping for ransom with a view to finance and execute plans for creation of a separate Bodoland;

(vi) embarking on a systematic drive for recruitment of fresh cadres and revamping the district, anchalik and sakha committees, while continuing its terrorist and insurgency activities;

(vii) publishing clandestine magazines highlighting the goal of the outfit and alleging exploitation by the Central Government and inciting the people to join the so-called liberation struggle thereby subverting their loyalties;

(viii) instructing its cadres to compile the list of police informers/Government collaborators to identify targets for retaliatory action against them;

(ix) carnage and ethnic violence resulting in killings, destruction of property and exodus of thousands of non-Bodos inhabiting in Bodo dominated areas in Assam from Bongaigaon and Barpeta districts with a view to spread panic and insecurity among non-Bodos and forcing them to migrate from Bodo areas;

(x) establishing camps and hideouts across the Country's border to carry out its secessionist activities;

(xi) obtaining assistance from anti-India forces in other Countries to procure arms and other assistance in their struggle for creation of a separate Bodoland."

The Central Government on the basis of the aforesaid grounds was of the opinion that the said activities of the NDFB are detrimental to the sovereignty and integrity of India and by notification No. S.O. 1292(E) dated 23-11-2004, Ministry of Home Affaris in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 constituted this Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient ground for declaring the aforesaid organisation (NDFB) as unlawful association and made reference under the provision of Section 4(1) of the Act to this Tribunal.

The Tribunal by order dated 22-1-2005 in pursuance of the provision of Section 4(2) of the Act had directed issue of notice to the aforesaid organisation to show cause in writing within thirty days from the date of service of such notice, as to why the said organisation should not be declared unlawful. The tribunal also directed that the notice shall be served on the aforesaid association on the addresses as may be available, by publication in the newspapers published in Assam and by affixing a copy thereof at some conspicuous parts of the office, if any, of the said association. The notice was further ordered to be served by proclamation, by beat of drums. Service was also ordered to be affected by pasting the notice at public places in the aforesaid territory, like the office of the Deputy Commissioner and market places. The notice was also served through publication in newspapers and by announcement in electronic media. The Tribunal also directed the

Registrar of the Tribunal to supervise the service of the notice. The report of the service of the notice was also filed by the Registrar. The affidavit of service was filed by the State of Assam as well as Union of India.

From the material placed on record as well as the report of the Registrar of the Tribunal, the Tribunal is satisfied that the notice has been duly served on the said association as per the directions of the Tribunal prescribed under Rule 6 of the Unlawful Activities (Prevention) Rules, 1968. No person for or on behalf of the said organisation has made appearance nor any cause has been shown in response to the notice.

Affidavits of Mr. D. Upadhyay dated 11-2-2005 and dated 23-4-2005, Ex. PW-1/1 and PW-1/2, affidavit of Mr. R.A. Hazarika dated 26-4-2005, Ex. PW-2/1, affidavits of Mr. Nitul Gogoi dated 11-2-2005 and 25-4-2005, Ex. PW-3/1, and PW-3/2. affidavits of Mr. Bhudev Goswami dated 11-2-2005 and 27-4-2005, Ex. PW-4/1 and PW-4/2, affidavits of Mr. Pradip Pujari dated 12-2-2005 and 27-4-2005, Ex. PW-5/1 and PW-5/2, affidavits of Anurag Aggarwal dated 11-2-2005 and 26-4-2005, Ex. PW-6/1 and PW-6/2, affidavits of Mr. Jiban Chandra Sarma dated 9-2-2005 and 27-4-2005, Ex. PW-7/1 and PW-7/2, affidavits of Mr. Prasanta Kumar Bhuyan dated 12-2-2005 and 27-4-2005, Ex. PW-8/1 and PW-8/2, affidavits of Mr. Prasanta Kumar Dutta dated 17-2-2005 and 27-4-2005, Ex. PW-9/1 and PW-9/2, affidavits of Mr. Pankaj Sharma dated 9-12-2005 and 27-4-2005, Ex. PW-10/1 and PW-10/2, affidavits of Mr. Arabinda Kalita dated 27-4-2005 and 10-5-2005, Ex. PW-11/1 and PW-11/2, affidavits of Mr. S. K. Roy dated 17-3-2005 and 28-4-2005, Ex. PW-12/1 and PW-12/2, affidavit of Mr. Jitendra Kumar Singh dated 6-5-2005, Ex. PW-13/1, affidavit of Mr. Deben Chandra Nath dated 6-5-2005, Ex. PW-14/1 were filed by the State of Assam and affidavits dated 9-3-2005 and 5-5-2005 were filed by Mr. R. R. Jha, Director in the Ministry of Home Affairs, Ex. PW-15/1 and PW-15/2.

Mr. D. Upadhyay, PW-1, stated in relation to case No. 9/2004 that the militants belonging to NDFB organisation were killed by the Army and the Police action, however, AK-47 rifle bearing No. 940847 along with magazine with 11 rounds live ammunition, 1 Chinese assault rifle having registration No. 1602619 loaded with 4 rounds live ammunition and Chinese hand grenade numbering 4, empty cases 16 in number were also recovered along with the bodies. The said bodies belonged to the militants was on the basis of a statement of witness Jogneswar Basumatary, who was resident of the said village and who knew the persons from the village belonging to the said militant outfit. He identified the dead bodies belonging to NDFB cadres. Certified copies of the statements of Jogneswar Basumatary are Ex. PW 1/12 (Collectively) (that included the seizure memo also).

Similarly, PW 2 on the basis of statement of Tarun Boro recorded under Section 161 Cr.P.C. in connection with the Mongoldoi Police Station Case No. 98/2003 relied upon the statement of Tarun Boro who stated that his son Dhaneswar Boro who was about 22-23 years of age, joined NDFB outfit about 8 years back, said Tarun Boro identified the dead body of his son, Dhaneswar Boro, in the hospital. Certified copy of the said statement is Ex. PW-2/2. Similarly, another witness, Bajo Ram Kachari in his statement in similar case stated that his cousin, who was about 30-32 years of age had joined NDFB outfit for the last 9-10 years back, he identified the dead body of his cousin Babul Kachari in the morgue of the Mongoldoi Hospital. Certified copy of the statement is Ex. PW-2/3. Another person Aditya Basumatary also recognised the body of Kamal Basumatary in Mangaldai civil hospital. He was the cousin of said Aditya Basumatary. Certified copy of the statement of Aditya Basumatary is Ex. PW-2/4. The seizure memo in relation to recovery of arms and ammunitions from the deceased militants are Ex. PW-2/6 to Ex. PW-2/8 respectively.

Nitul Gogoi, PW-3 in his statement has stated that he was personally supervising the investigation with regard to death of the Manager of Ghiladhari Tea Estate. The statement of Lila Narzary was recorded by P. K. Dass, S.I., in his presence. Lila Narzary stated in his statement recorded on 27-11-2004 that the Manager of Ghiladhari Tea Estate and his PSO were shot by NDFB Area Commander, Sarsing, B. Bwharlang, Raja Basumatary, B. Birdang, and Asagar. They also looted cash amounting to Rs. 1,30,590/-. Lila Narzary also stated that he has been trained by NDFB militants and another person Anshuman Mushahari to handle AK-47 and AK-56. He admitted that he was working as a link-man with the militant organisation. Certified copy of the statement of Lila Narzary is Ex. PW-3/3. Statement of Anshuman Mushahari was also recorded. Certified copy of the statement of Anshuman Mushahari is Ex. PW-3/4.

FIR of the incident of 3-10-2004 where the NDFB militants massacred Indra Magor, Pukulu Keot, Jadhav Upadhayay, Pinki Agorwala succumbed to their injuries on way to the hospital and militants looted away Rs. 20,000/- is Ex. PW-3/7, FIR registered by Shri Baiju Agorwala states as under :—

> "My humble submission is that on 3-10-2004 at about 12.00 p.m. night 3 unknown armed Bodo extremists took few persons of our village with the plea of a meeting after entering our house by opening the door through the villagers and looted Rs. 20,000/- threatening to kill. The militants lined up Indra Magor, Pukulu Keot, Jadhav Upadhayay, Chandra Keot, Anandi Agorwala, Smt. Parbati Agorwal, Jyoti Agorwal, Shri Pradip Nirala, Satya Agorwal, Smt. Baidi Agorwala, Bimla Agorwala, Chanchal Agorwala and started indiscriminate fire and lobbed grenade. Due to the firing and explosion of grenade Indra Magor, Pukulu Keot, Jadhav Upadhayay, Chandra Keot and Pinki Agorwala died on the spot and Kamal Kishor Agorwala, Chandan Keot succumbed to their injuries at Hospital."

Bhudev Goswami who appeared as PW 4 has been monitoring and supervising the investigation of unlawful cases

and in such monitoring it was noticed that father of one Momai Daimari, who had gone from the house six years back, was captured in the operation conducted by Bhutan Army and the Indian Army when they destroyed the camp of NDFB in Bhutan and in that operation the son of Hala Daimari was apprehended and handed over to Police Station Goreswar. Said Hala Daimari went to see his son, Momai Daimari, He identified him as Momai Daimari and he also stated that Momai Daimari was a member of NDFB organisation. Certified copy of the statement of Hala Daimari is Ex. PW-4/3. Witness also stated that certain NDFB activists namely, Deben Daimari, Ranjit Najary, Baneswar Boro, Mumai Daimari and Smt. Sabita Basumatary, and all these were involved in extortion of money from the people of Goreswar for NDFB. Two chinese hand grenades were recovered from Baneswar Boro. The seizure memo is Ex. PW-4/4.

In his deposition, Pradip Pujari, PW-5 deposed that on September 24, 2004, 3-4 NDFB extremists equipped with deadly weapons were taking shelter at village Ravabasti. The village was cordoned where the militants were taking shelter. When the search was going on some NDFB militants opened fire on the police party. The police also retaliated in self-defence in which one NDFB militant died on the spot and two other NDFB extremists managed to escape under the cover of the jungle. The police recovered one pistol loaded with two rounds live ammunition from the slain militants with one paunch tied with waist with two grenades, incriminating documents including NDFB extortion receipts, pocket diaries relating to NDFB, two electric detonators. The said militant who was killed was Biju Basumatary as his body was identified by his brother-in-law. Statement of S.I. is Ex. PW-5/9. The certified copy of the receipt is Ex. PW-5/10 and Ex. PW-5/11 and the photo-copy of the seizure memo is PW-5/12.

Similarly Anurag Aggarwal, PW-6 deposed that on 12-4-2003 at around 7.00 p.m. one Motiur Rahman, and VRPL employee was kidnapped by 10-12 unknown extremists at gun point from his house. He was kept under captivity, money was demanded for his release and after negotiation, a sum of Rs. 6 lakhs was paid through one Abdul Latif to NDFB militants. Certified copy of the statement of Motiur Rahman is Ex. PW-6/5 and the certified copy of the statement of Abdul Latif is Ex. PW-6/6.

It was deposed by Jiban Chandra Sarma, PW-7 that on October 2, 2004 some of the militants belonging to NDFB were taking shelter in the house of Purnima Khakhlari and had hidden some explosives. The explosives went off and some persons were injured and some persons were killed. They were NDFB members. From the blast site certain documents, extortion letters as well as some ammunition apart from the Indian currency were recovered which show about the activities of NDFB. The statement of Purnima Khakhlari was originally recorded in Assamese and the same was translated in English, certified copy of the same is Ex. PW-7/3. The seizure memo is Ex. PW-7/4. The receipts issued by the NDFB are Ex. PW-7/5 (Collectively) and certified copy of demand extortion letter is Ex. PW-7/6.

Prasanta Kumar Bhuyan, PW-8 stated that on 11-11-2003 in an encounter with a group of NDFB extremist, one NDFB extremist who was identified as Phala Basumatary of Barajabilwas killed. His body was identified by his mother, Smt. Srani Basumatary. From the deceased militant, certain arms and ammunitions were recovered. Certified copy of the statement of Smt. Sarani Basumatary is Ex. PW-8/3. The seizure memo of the arms and ammunitions recovered from the deceased militant is EX. PW-8/4. He further deposed that on 7-6-2004 a group of NDFB hurled grenade on CRPF/Police joint operation party at Village Mahendrapur in which one CRPF constable, Prema Singh, was grievously hurt. The police party opened fire, one person was caught red handed, his name was Rijen Basumatary. His statement under Section 161 of the Cr. P.C. in connection with case No. 125/04 was recorded in which he admitted that he was involved with the activities of NDFB and the grenade which was thrown on the police was possessed by him. Certified copy of the statement is Ex. PW-8/6, seizure memo is Ex. PW-8/7.

Prasanta Kumar Dutta, PW-9 stated that on January 4, 2003 on an information an ambush party was sent to Manglajhora village Bogribari Police Station. One person namely Grimsha Bramha @ Kendrai, s/o Shri Rabindra Nath Bramha Village Antihara Betbari Police Station Dostma was arrested, when he was trying to flee away. His statement was recorded. Incriminating articles, arms and ammunition were recovered from the possession of Grimsha Bramha. FIR was filed and in that case even the charge-sheet has been filed. The certified copy of the statement of Grimsha Bramha is Ex. PW-9/3. It is important to reproduce part of his statement. The same is as under :—

> "The alphabet B indicates either Bramha or Basumatary. These are the nick names given from the NDFB Headquarters. While I was at the Headquarter then I came to Bongaigon with a group of thirteen NDFB cadres and used to stay at Patabari area in a platoon of second battalion. At that time I had one AK-47 rifle with me. I along with my group killed 5 CRPF Jawans at Patabari during that time. These CRPF Jawans came for some election duties. After that I went back to our headquarter Kalikhola in Bhutan. In the year 2001, we laid an ambush at Bongaigon on 15th August with a view to kill Indian Army but could not be successful. Later on we tried to kill the BLT activists in Ramphalbil area but could not be successful."

Pankaj Sharma, PW-10, in his statement has deposed that on 9-3-2004 at Disagedeba Dimasa village and one Sunil Basumatary was apprehended. His statement under Section 161 of the Cr. P. C. before the court was recorded. At the instance of said Sunil Basumatary arms and ammunitions were recovered from Disagedeba Jungle, Diphu and an FIR was registered. The statement recorded of Sunil Basumatary under Section 161 is Ex. PW-10/3. His statement recorded under

Section 164 of the Cr. P.C. is Ex. PW-10/4. The seizure memo of recovery of arms and ammunitions and other incriminating material is Ex. PW-10/5. Said Sunil Basumatary in Ex. PW-10/1 has mentioned that on March 11, 2004 at about 2.30 P.M., S.I. Sankar Banerjee, Incharge, Manja Outpost, Diphu P.S. Lodged an ejahar with the Diphu Police Station to the effect that acting on a source information regarding movement of NDFB militants at the Disagedeba Dimasa village Diphu P.S., a search and raid operation was conducted at about 7.30 PM on March 9, 2004 at the said Disagedea Dimasa village. There is no contradiction in the statements of Sunil Basumatary recorded under Sections 161 and 164 Cr. P.C. In the statement recorded under Section 164 of the Cr. P.C. Sunil Basumatary has only stated that no arms and ammunitions were recovered from his person, however, he has not denied the fact that the arms and ammunitions as per his statement recorded under Section 161 of the Cr. P.C. were recovered at his instance and the seizure memo also records that the arms and ammunitions were recovered at the instance and disclosure made by Sunil Basumatary.

On the basis of records of activities as mentioned by earlier witness Mr. Arabinda Kalita, Superintendent of Police (Special Operation Unit), PW-11, he made his deposition about unlawful activities of the NDFB cadres. In his deposition, reliance was placed on the statement of Benu Bora made during the course of investigation as he has provided detailed information with regard to the cladestine activities of NDFB. Said Benu Bora in his statement has stated that he has been visiting foreign countries from 2002 to 2004 for organizing subversive activities and for procuring arms from different sources. He has gone to Bangkok, Kualalampur, Singapore and had been receiving foreign currencies for the said purpose. Benu Bora stated that he along with one May Shoun left Dhaka, stayed in Bangkok and Benu Bora exchanged 1,80,000 Taka in 3000 US Dollars. They crossed from Thailand to the Cambodian border met certain people and demanded rifles of AK series, 5 UMG and 2 lakh ammunition. He also admitted that the activities of NDFB are also linked with the other terrorist organizations operating in other South East Asian countries. The said Benu Boro has in detail narrated the activities of NDFB, their armed struggle in order to create an independent Boroland, their collaboration with NLFT as well as the major role played by the Chairman of NDFB for creating a common platform of the like minded militants to highlight the suppression and oppression by India against the different tribes and races and their role in extorting them to fight unitedly against the Union of India. Said Benu Boro also stated that NDFB, NSCN (IM), HNLC, ANBC, KYKL, KNB, KPF constituted a South East Himalayan Region Organisation and Ranjan Doimari, who is the Chairman of the NDFB is the convenor of this front. The statement of Benu Boro is Ex. PW-11/3.

On electronic media, a leaflet which was down loaded will throw some light on the activities of NDFB. The same is as a under :—

> "Since 2000, occupation India turned deaf ear to release any fund regarding flood control in Assam. Instead, new remedy has been put forward to control the perennial devastated flood of Brahmaputra basin, i.e. to drain out excess water from river Brahmaputra through cannel to other parts of India. It is nothing else but to close the remaining chapter of unique bio-diversity of Brahmaputra valley despite the rampant destruction in the hands of Indian occupation. The eyes of occupation looters are now zeroed in upon the water resources of Assam, next to agricultural, mineral and forest resources. Many social and political organisations have already signed up their protest vehemently in this regard. We will not step back despite its limited resources to resist to the last against draining out a single drop of water from river Brahmaputra. The River Brahmaputra is termed in Assamese vernacular as Luit, which is not merely a river for the people of Assam but a cultural entity, a bond of national unity furthermore, our symbol of an unique civilisation. It is a component of our national sovereignty. We would rather to barter our blood instead of draining out of our sovereignty.
>
> Boycott India's independence day celebrations and observe general strike of 15th August, 2003."

NDFB has also given call for banning Hindi films as according to them same was against the culture of the original people and amounts to cultural invasion by India and occupational forces of India. NDFB have also been involved in taking pride in killing the para-military organisations personnel as well as by killing police personnel. The district wise gist of NDFB incidents from 23-11-2002 to 22-11-2004 was filed by the witness, the same are Ex. PW 11/5.

On the basis of the aforesaid information, S.K. Roy, Joint Secretary (Home), State of Assam has also filed his affidavit. He was also examined as PW-12, PW-13 examined himself in relation to case No. 121/2004.

S.I. Deben Chandra Nath was also produced as PW-14 to corroborate the statement made by PW-9 in relation to case No. 03/03, which was investigated by PW-14, who had completed the investigation and has also filed charge-sheet against the arrested person for trial in the Court. On 29-2-2004, the confessional statement was also recorded by PW-14.

In support of his evidence, Mr. R.R. Jha, Director, Ministry of Home Affairs also appeared in the witness box as PW-15. He stated that the NDFB was declared unlawful association for the first time on 23rd November, 1992 under the provisions of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. The ban has been extended on 23-11-1994, 23-11-1996, 23-11-1998, 23-11-2000, 23-11-2002 and 23-11-2004. Yet they did not desist from their unlawful activities and, therefore, Government of India vide its notification dated 23-11-2004 has proposed to ban the said organisation. In spite of banning the activities of NDFB as unlawful, the association has not stopped indulging in unlawful activities. It was deposed that the self-styled

1653 GI/05-7

President Ranjan Doimari stays in Bangladesh and works in close cooperation with Islamic Fundamentalist groups towards undermining India's unity and integrity. From 1-1-2003 to 30-9-2004, 167 incidents of violence attributable to NDFB outfit were reported in the State of Assam. The activists of the outfit killed 92 persons, (i.e. 16 Army/Police/Security Forces personnel, 76 civilians). They are indulging in systematic violence against non-Bodo, businessmen, Police personnel and members of political parties, including Bodo parties/organisations which are opposed to its ideology. In October, 2004, a total of 17 incidents of terrorist activities in Assam were reported in which a total of 41 persons were reportedly killed and around 191 injured. The cadres of NDFB have been asking common people to pay exorbitant sums of money to NDFB on the threat of death. They are demanding Bodoland tax to create a fear psychosis among the non-Bodos living in the areas dominated by Bodos in Assam and on these grounds he also supported the declaration.

The question before this Tribunal on the basis of documents and evidence is as to whether on the basis of material placed on record there was sufficient cause for declaring the aforesaid organisation as unlawful association and whether the Government of India was justified in declaring their activities as unlawful vide notification dated 23-11-2004 issued in The Gazette of India Notification Part-II Section 3 Sub-section (ii) Extraordinary of the same date.

It is not necessary for this Tribunal to go into the history of NDFB organisation prior to the year 1992. To know the aims and objectives of this organisation and its past activities it will be sufficient to relate back to the year 1992 when by notification dated 23-11-1992, the said organisation was declared unlawful by the Central Government. The grounds, on which the said organisation was declared unlawful, were the same. The previous Tribunals on consideration of material had declared the activities of the said organisation as unlawful from time to time. I am concerned in this Tribunal with the notification issued on 23-11-2004, which has been referred to this Tribunal for adjudication whether on the basis of the material on record there was sufficient cause for declaring the NDFB as unlawful association. From the perusal of the evidence as stated above, two things have to be kept in mind. For the purposes of adjudication by the Tribunal whether the statement recorded under Section 161 of the Cr. P.C. can be taken into consideration by the Tribunal or not. In **Union of India *Vs.* Students Islamic Movement of India and Ors. 99 (2002) DLT 147,** the Delhi High Court observed :—

> "The confessional statements referred to and relied upon by the Government, were recorded during investigation of the criminal cases in which they were arrested. Section 25 of the Evidence Act provides that no confession made to a police officer shall be proved against a person accused of any offence. The expression 'a person accused of an offence' describes the person against whom evidence is sought to be proved in a criminal case. The adjective clause 'accused of an offence', is therefore, descriptive of the person against whom a confession is sought to be proved. The confessional statements, can be used in civil proceedings and other collateral proceedings under the Criminal Procedure Code. The inquiry before this Tribunal is clearly not a trial against the accused persons, who made the confessional statements. Therefore, in my considered view confessional statements made by the accused persons during investigation of different cases to the police or before the Court, would not be hit by Section 25 of the Evidence Act and are admissible in evidence, to show whether the accused persons were or are the members of the association, as well as to show whether the activities of the association are unlawful or not."

In **Suman and Ors. etc. *Vs.* State of Tamil Nadu AIR 1986 (Madras)** 318, it was held :—

> "It has to be remembered that when Section 25 refers to a confession which is not permitted to be proved as against a person accused of any offence, it refers to a confession made by an accused person which is proposed to be proved against him to establish an offence. The scope of Section 25 is therefore restricted only to a confession made by a person who is an accused that is being used in a proceeding to establish an offence against him."

Therefore, when PW-5 narrated the incident of September 24, 2004 in which one such militant was killed who was Biju Basumatary. His body was identified by his brother-in-law, his statement cannot be inadmissible before this Tribunal. PW-6 desposed that on 12th April, 2003, one Mutiur Rehman was kidnapped on gun point. He was kept under captivity. Money was demanded for his release and a sum of Rs. 6 lakhs was paid through one Abdul Latif to NDFB militants. The statements of Motiur Rehman, Ex. PW-6/5 and the statement of Abdul Latif, through whom money was passed to NDFB militants Ex. PW-6/6, are admissible. Similarly, the statement of Poornima Khakhlari, Ex. PW-7/3 whose house was used by the militants was admissible with regard to the activities of NDFB. One NDFB extremist Phala Basumatary was killed in an encounter. His body was identified by his mother Smt. Sarini Basumatary. Statement of Smt. Sarini Basumatary, Ex. PW-8/3 is admissible insofar as she has recognised the body of her son and stated that her son was member of the militant organisation. The statement of Grimsha Bramha Ex. PW-9/3 throws light as to how the NDFB cadres were having a hierarchy of officers like the army. They were indulging in ambushing. They were trying to kill other Bodos and same is also admissible. Another significant aspect of the evidence which has come before this Tribunal was the statement of Sunil Basumatary. His statement under Section 161 of the Cr.P.C. is Ex. PW-10/3 and his statement recorded before the Court under Section 164 Cr. P.C. is Ex. PW-10/4. There was no contradiction in the statement of Sunil Basumatary recorded under Sections 161 and 164 as he has only stated that no arms and ammunition were recovered from his person. However, he had

not denied the fact that arms and ammunition as per his statement recorded under Section 161 of the Cr.P.C. were recovered at his instance and the seizure memo also recorded that arms and ammunition were recovered at the instance and disclosure made by Sunil Basumatary. As to what is the material and how the same has to be considered by the Tribunal has been laid down by the Supreme Court in Jamaat-E-Islami Hind *V/s.* Union of India JT 1995 (1) S.C. 31. Supreme Court held as under :—

"Section 4 deals with reference to the Tribunal. Sub-section (1) requires the Central Government to refer the notification issued under sub-section (1) of Section 3 to the Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the association unlawful. The purpose of making the reference to the Tribunal is an adjudication by the Tribunal of the existence of sufficient cause for making the declaration. The words adjudicating and sufficient cause in the context are of significance. Sub-section (2) requires the Tribunal, on receipt of the reference, to call upon the association affected 'by notice in writing to show cause' why the association should not be declared unlawful. This requirement would be meaningless unless there is effective notice of the basis on which the declaration is made and a reasonable opportunity to show cause against the same. Sub-section (3) prescribes an inquiry by the Tribunal, in the manner specified, after considering the cause shown to the said notice. The Tribunal may also call for such other information as it may consider necessary from the Central Government or the association to decide whether or not there is sufficient cause for declarting the association to be unlawful. The Tribunal is required to make an order which it may deem fit either confirming the declaration made in the notification or cancelling the same. The nature of inquiry contemplated by the Tribunal requires it to weigh the material on which the notification under sub-section (1) of Section 3 is issued by the Central Government, the cause shown by the association in reply to the notice issued to it and take into consideration such further information which it may call for, to decide the existence of sufficient cause for declaring the association to be unlawful. The entire procedure contemplates an objective determination made on the basis of material placed before the Tribunal by the two sides; and the inquiry is in the nature of adjudication of a list between two parties, the outcome of which depends on the wright of the material produced by them. Credibility of the material should, ordinarily, be capable of objective assessment. The decision to be made by the Tribunal is whether or not there is sufficient cause for declaring the association unlawful. Such a determination requires the Tribunal to reach the conclusion that the material to support the declaration outweighs the material against it and the additional weight to support the declaration is sufficient to sustain it. The test of greater probability appears to be the pragmatic test applicable in the context."

Supreme Court in para-14 further held that :—

"In Section 4, the words adjudicating and decide have a legal connotation in the context of the inquiry made by the Tribunal constituted by a sitting Judge of a High Court. The Tribunal is required to 'decide' after 'notice to show cause' by the process of 'adjudicating' the points in controversy. These are the essential attributes of a judicial decision."

(Emphasis supplied)

In **Union of India *Vs.* Tulsiram Patel AIR 1985 SC 1416**, a Constitution Bench of the Court had the occasion of considering the expressions law and order, public order, security of the State, which are used in different Acts. In para 140 of the judgment, their Lordships observed as under :—

"The expressions law and order, public order and security of the State have been used in different Acts. Situations which affect public order are graver than those which affect law and order and situations which affect security of the State are graver than those which affect public order. Thus, of those situations those which affect security of the State are the gravest. Danger to the security of the State may arise from without or within the State. The expression security of the State does not mean security of the entire country or a whole State. It includes security of a part of the State. It also cannot be confined to an armed rebellion or revolt. There are various ways in which security of the State can be affected. It can be affected by State secrets or information relating to defence production or similar matters being passed on to other countries, whether inimical or not to our country, or by secret links with terrorists. It is difficult to enumerate the various ways in which security of the State can be affected. The way in which security of the State is affected may be either open or clandestine."

Applying the above test, I am of the considered opinion that in spite of the notice having been served on the banned organisation as organisation as detailed above, the NDFB chose not to represent their side. Therefore, there is no other material except the material placed by State of Assam and Union of India before this Tribunal and by taking into consideration the material, evidence, documents and on the basis of objective determination made on the basis of material placed before the Tribunal, the material and its credibility cannot be impeached.

Apart from the evidence which I have discussed above, the State has also other agencies for inputs like intelligence bureau and other secret agencies. Material was shown to the Tribunal. The secret information which has been perused

by the Tribunal states that the Bodos have links with other terrorist outfits including ISI of Pakistan. The report reads as under :—

"The outfit has further cemented its links with the ULFA, NSCN (I/M) and other insurgent groups of the North East. NDFB and NSCN (I/M) are members of an umbrella organisation styled as 'Self Defence United Front of South East Himalayan Region' comprising NSCN (I/M), NDFB and small North East Extremist groups of Tripura, Meghalaya and Manipur. The NDFB leaders keep visiting and staying abroad particularly Thailand (Bangkok) and Bangaldesh. Many amongst the NDFB cadres were trained in arms by NSCN (I/M) UGs. The group is a beneficiary of Bangladesh hospitality in the form of shelters/hideouts. The anti-India attitude of the outfit came to forefront during the Kargil conflict when it issued an anti-India and pro-Pak statement. Recently, Gobinda Basumatary (General Secretary, NDFB - arrested on December 5, 2002), Dhiren Boro (Vice-President, NDFB - arrested on January 1, 2003) and Nileswar Basumatary (Home Secretary, NDFB-surrendered on March 17, 2004) during their interrogation, disclosed the links of the outfit with the Pak intelligence agencies and training of their cadres in Pakistan."

Adjudication by the Tribunal of a nature as contemplated under the Act is to safeguard against the mala fide exercise of power by the Government.

The scrutiny of material with the Central Government, materials placed before the Tribunal and the statement of witnesses as I have reproduced above establish preponderance of probability about its activities which are unlawful in terms of Section 2(0) of the Act. The systematic acquisition of arms, creation of south east asian himalayan front, extortion, killing and the avowed objective of establishment of an independent, sovereign Bodoland on the basis of the constitution which was placed before this Tribunal particularly Article 4, which is as under :—

"**PRINCIPLES AND IDEOLOGY**

The Principles and Ideology of NDFB shall be to :

(a) Liberate Bodoland from the Indian expansionism and occupation;

(b) Free the Boro nation from the colonialist exploitation, oppression and domination;

(c) Establish a Democratic Socialist Society to promote Liberty, Equality and Fraternity;

(d) Uphold the integrity and sovereignty of Boroland."

manifest intention of the NDFB to disrupt the territorial integrity and sovereignty of India. This also highlights the involvement of conspiracy of waging war against India with other banned organisations and I.S.I. There is ample evidence on record that after its ban was over in 2002, NDFB has not stopped its activities. The actions demonstrate that they have no faith in the Constitution of India and they want to secede from Union of India. They are preaching hatred against non-Bodo residents of Assam, extorting money from innocent people and acquiring illegal arms. Therefore, the Tribunal is satisfied that the activities of the NDFB, its members, followers, sympathisers and activists are subversive in nature. Their activities of acquiring arms and demand of secession of Bodoland are against the territorial integrity and sovereignty of India. The material published by NDFB is objectionable with a view to create mis-information and disaffection against India. Therefore, in the considered opinion of the Tribunal, there is sufficient cause for declaring NDFB unlawful organisation, pursuant to notification dated 23-11-2004, and the said notification stands confirmed.

The reference stands answered in the terms mentioned above.

Sd/-

May 20, 2005

(VIJENDER JAIN)

Presiding Officer,

The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

[F. No. 11011/46/2004-NE.III]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.